(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 6/2017- सेवाकर

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी, 2017

सा.का.नि. (अ) - वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 की उपधारा (1) के साथ पठित उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद सरकार एतदद्वारा सेवाकर नियमावली, 1994 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है; यथा-

1. (1) इन नियमों को सेवाकर (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2017 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होंगे।

2. उक्त सेवाकर नियमावली, 1994 में, नियम 6 में, उपनियम (1) में, अंतिम परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा-

''बशर्ते और भी कि यदि ऑनलाइन सूचना या डाटाबेस एक्सेस या रिट्रीवल सर्विसेस गैर करवाले भू-क्षेत्र में रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा दी जाती हैं या दिए जाने के लिए सहमत दी जाती है और उन्हें गैर निर्धारिती ऑनलाइन प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त की जाती है, तो दिसंबर, 2016 और जनवरी 2017 के महीनों के देय सेवाकर का भुगतान 6 मार्च, 2017 तक केंद्र सरकार के खाते में जमा कर दिया जाना होगा।''

[फा.सं. 354/149/2016-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं. 2/94-सेवाकर, दिनांक 28 जून, 1994 को सा.का.नि. 546 (अ), दिनांक 28 जून, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 2/2017-सेवाकर, दिनांक 12 जनवरी, 2017, सा.का.नि. 25 (अ), दिनांक 12 जनवरी, 2017 के द्वारा संशोधन किया गया है।